Haryana Government Gazette

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 33-2026] चण्डीगढ़, मंगलवार, दिनांक 18 अगस्त, 2026
(27 श्रावण, 1948 शक)

विधायी परिशिष्ट

क्रमांक	विषय वस्तु	पृष्ठ
भाग–I	**अधिनियम**	
	कुछ नहीं	
भाग–II	**अध्यादेश**	
	कुछ नहीं	
भाग–III	**प्रत्यायोजित विधान**	
	1. अधिसूचना संख्या का०आ० 40/के०अ०34/2008/धा०22/2026, दिनांक 14 अगस्त, 2026– राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 (2008 का केन्द्रीय अधिनियम 34) की अनुसूची में विनिर्दिष्ट अपराधों के विचारण के लिए विशेष न्यायालय पदाभिहित करने बारे।	301—302
भाग–IV	**शुद्धि पर्ची, पुनः प्रकाशन तथा प्रतिस्थापन**	
	कुछ नहीं	

भाग–III

हरियाणा सरकार

न्याय प्रशासन विभाग

अधिसूचना

दिनांक 14 अगस्त, 2026

संख्या का०आ० 40/के०अ०34/2008/धा०22/2026.– राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 (2008 का केन्द्रीय अधिनियम 34) की धारा 22 की उपधारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा हरियाणा सरकार, न्याय प्रशासन विभाग, अधिसूचना संख्या का०आ० 104/के०अ०34/2008/धा०22/2013, दिनांक 13 दिसंबर, 2013 के अधिक्रमण में, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, प्रत्येक जिला मुख्यालय पर जिला एवं सत्र न्यायाधीशों और सभी अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीशों, जो सत्र विचारण के संचालन में पांच वर्ष से अधिक का अनुभव रखते हों, के न्यायालयों को अपनी–अपनी अधिकारिता के भीतर पड़ने वाले क्षेत्र के लिए राज्य पुलिस द्वारा अन्वेषित उक्त अधिनियम की अनुसूची में विनिर्दिष्ट अपराधों के विचारण के लिए विशेष न्यायालयों के रूप में पदाभिहित करते हैं।

सुधीर राजपाल,
अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
न्याय प्रशासन विभाग।

HARYANA GOVERNMENT

ADMINISTRATION OF JUSTICE DEPARTMENT

Notification

The 14th August, 2026

No. S.O. 40/C.A.34/2008/S.22/2026.— In exercise of the powers conferred under sub-section (1) of section 22 of the National Investigation Agency Act, 2008 (Central Act 34 of 2008) and in supersession of the Haryana Government, Administration of Justice Department, notification No. S.O. 104/C.A.34/2008/S.22/2013, dated the 13th December, 2013, the Governor of Haryana hereby designates the Courts of District and Sessions Judge and all the Additional District and Sessions Judges having experience of more than five years in conducting Sessions trials at each District Headquarter as the Special Courts for trial of offences specified in the Schedule of the said Act, investigated by the State Police, for the area falling within their respective jurisdiction.

SUDHIR RAJPAL,
Additional Chief Secretary to Government, Haryana,
Administration of Justice Department.

12757—C.S.—H.G.P., Pkl.